HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10506/2024

Sunil S/o Shri Satish Mehra, R/o Pragpura, Police Station Pragpura, District Kotputli-Bahror. (At Present Petitioner Is Confined In Sub Jail Kotputli-Behror).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11255/2024

Ranjeet Singh S/o Vikram Singh, Aged About 20 Years, R/o Pragpura Police Station Pragpura, District Kotputali-Behror. At Present In Sub Jail, Kotputali.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13073/2024

Ashok @ K.d. @ Wanted S/o Pappuram, Aged About 21 Years, R/o Torda Gurjaran, Police Station Pragpura, District Kotputli-Behror. (At Present Confined In Sub Jail Kotputli).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15715/2024

Karan S/o Suwalal Meena, Aged About 20 Years, R/o Raghunathpura, Police Station Sarund, District Kotputli- Behror, Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail Kotputli)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Raj Kumar Sharma Mr. Harendra Singh Mr. Shivam Sharma Mr. Sumer Singh Ola Mr. Santosh Kumar Soni Mr. Arjun Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

13/12/2024

प्रार्थी–अभियुक्त **सुनील** की ओर से **जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–10506/2024,** प्रार्थी–अभियुक्त **रणजीत सिंह** की ओर से **जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–11255/2024,** प्रार्थी–अभियुक्त **अशोक उर्फ के.डी. उर्फ वान्टेड** की ओर से **जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–13073/2024, व** प्रार्थी–अभियुक्त **करण** की ओर से **जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–15715/2024** अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–प्रागपुरा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–325/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 435, 307, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता व अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 (बाद अनुसंधान 201, 504, 147, 148, 149, 325 भारतीय दण्ड संहिता व 9/25 आयुध अधिनियम) में पेश किया गया है। उक्त चारों प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध यह झूंठा मुकदमा बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 435, 307, 506, 325, 147, 148 आदि–आदि धाराओं में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण

20–21 वर्ष के नवयुवक हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि आहतगण के शरीर पर ऐसी कोई भी चोट कारित नहीं हुई है जो प्राणघातक हो। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि आहत पवन के हाथ व पैर में व आहत राजेश के हाथ में अस्थिभंग की चोट आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि आहत प्रेमकुमार की सभी चोटें साधारण प्रकृति की तथा भोटें हथियार से कारित होना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण करण, सुनिल, अशोक उर्फ के.डी. उर्फ वान्टेड को दिनांक 28.07.2024 तथा अभियुक्त रणजीत सिंह को दिनांक 08.07.2024 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थीगण–अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के गंभीर अपराध का आरोप हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध आग्नेय शस्त्र से फायरिंग किये जाने का भी आरोप है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध एक–एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। अतः अभियुक्तगण के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किये जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के खिलाफ रायल्टी नाका टोरडा गुजरान पर रात्रि के समय नाके पर कार्यरत कर्मचारीगण के साथ मारपीट किये जाने का आरोप है। मजरूबान के हाथ व पैरों पर गंभीर चोटें कारित होना पाया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण के

खिलाफ आग्नेय शस्त्र से फायरिंग किये जाने का भी कथन किया गया है, किन्तु किसी भी मजरूबान के आग्नेय शस्त्र से कोई चोट कारित होना नहीं पाया गया है। सभी अभियुक्तगण 20–21 वर्षीय नवयुवक हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध चालाना न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अभियुक्तगण गिरफ्तारी के पश्चात् से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. सुनील पुत्र सतीश मेहरा, 2. रणजीत सिंह पुत्र विक्रमसिंह, 3. अशोक उर्फ के.डी. उर्फ वान्टेड पुत्र पप्पूराम व 4. करण पुत्र सुवालाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–325/2024, पुलिस थाना प्रागपुरा, जिला कोटपूतली–बहरोड़** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उन्हें बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /88-91